

RPI-211-6L-11-94

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

in the court of.....

Case No. 90/10

V-190/CR.J.(C

Class.....

Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

मास्टर सिंह 510 एस. केजी राफ सिंह लोभाल -  
R/o नेहा PS-जोहर चारला

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 21-3-10 को समय 20-10 बजे स्थान कनी  
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 18-  
को अपने आधिपत्य में  
जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायाल  
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

अपराध स्वीकार है

मास्टर/पुं

शिवाजी गार्ड

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(e), clause(f) or subsection(i) of section 260 the  
the property in respect of which of which the offence has been committed.



(निर्णय)  
(आज दिनांक 18-5-18 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 कावरी अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण के अपराध में सिद्ध धारा 34 कावरी के अपराध में सिद्ध उहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/ग को 1200/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की द में 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जल्तशुदा 2 दिवस 15 की 01/17

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता 0 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड

मेरे निर्देश पर टाईप कि

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड  
शिवाजी शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड